MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will disobey the Chair. (*Interruptions*) I will not allow it. Mr. Suresh Kalmadi, take your seat first. Don't record Mr. Suresh Kalmadi. It is a point of disorder. Mr. Verma please read the notice. (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय. . . **(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : देखिये, आप लोग जरा कृपा करके बैठ जाइये। आप दलील देने वाले बैठ जाइये। देखिये, अगर कोई सदस्य मेरी व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं . . . **(व्यवधान)** श्री सुरेश कलमाडी, आप देखिये, मैं खड़ा हूं, वह खड़े हैं। This is a point of disorder.

यह तरीका है सदन में उन लोगों का जो जनतंत्र की शपथ खाते हैं, मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं करते, कोई कायदा-कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। I will not allow this. This is not proper. (Interruptions).

बोलिये आपका क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

SHRI SURESH KALMADI: Today is the last day of the Session.

(*Interruptions*)

SHRI J. K. JAIN: This is not the way. Don't allow him now.

श्री सैयद अहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश): आपने इजाजत दी है। अब यह क्या तरीका है। . . **(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : आप बोलिये कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या है? **(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are paying you in the same coin.

(*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't record Mr. Suresh Kalmadi. There is no point of order. Now take your seat. (*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is no point of order. This is a point of disorder. Take your seat. That is the ruling. (*Interruptions*) Mr. Suresh Kalmadi, you wanted my ruling. I have given the ruling. If you are not satisfied, you can go out of the House.

SHRI SURESH KALMADI:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever Mr. Suresh Kalmadi has said will not go record. Mr. Verma, you read the notice. Let them shout. You will go on record.

आप पढ़िये वर्मा जी। नहीं पढ़ेंगे, तो हम उनको बुला देंगे . . . **(व्यवधान)** आप लोग चुप रहिए जो इधर से हल्ला मचाते हैं, उनको भी कहने दीजिए।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Delay in Demarcation of Boundaries between Haryana and Uttar Pradesh across the Yamuna

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, 1974 के उमा शंकर दीक्षित पंचाट के अनुसार यमुना नदी के पार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण में विलम्ब के समाचार और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं. . . **(व्यवधान)**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : उपसभापति जी, मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा था कि इसी तरह का लेवेदो अवार्ड उत्तर प्रदेश और बिहार का था।

*Not recorded.

श्री उपसभापति : नहीं, वह इसमें नहीं है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : दोनों एक ही तरह के है ।

श्री उपसभापति : नहीं, वह दूसरी बात है । दोनों को मिक्सअप न करें । फिर मुश्किल हो जाता है । दुनिया भर के बहुत से अवार्ड है... **(व्यवधान)** सब कहां से मिक्स अप कर रहे है । बैठिए आप ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह उत्तर प्रदेश और बिहार का यमुना के लिए है और उसी तरह से यह है ।

श्री उपसभापति : अच्छा ठीक है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अगर दोनों को लिया जाए तो गृहमंत्री जी दोनों का जवाब दें ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) Sir, the inter-state boundary between the States of Haryana and Uttar Pradesh in the stretches where it was determined by the deep stream of Yamuna, had given rise to doubts and disputes as a result of changes in the course of the river from time to time. With a view to settling once for all the problems arising out of fluctuating boundary, the Chief Ministers of Uttar Pradesh and Haryana suggested to Shri Uma Shankar Dikshit, the then Home Minister in May, 1974 that he might agree to arbitrate in the matter in his personal capacity. The Chief Ministers agreed that the Award of his Arbitration would be accepted by both the parties. Shri Dikshit gave his Award on the 14th February, 1975 recommending the replacement of variable boundary by a fixed boundary described therein.

Soon thereafter, the Central Government prepared a draft Bill to give effect to the Award given by Shri Dikshit and referred it to the two State Governments for comments as to the incidental and consequential provisions which are usual features of similar laws relating to alteration of boundaries. In view of apprehensions entertained by residents of rivers in areas of Uttar Pradesh State, the State Government asked for several clarifications. in regard to protection of their rights of ownership and cultivation. It was clariled that the proposed legislation would only affect the territorial jurisdiction of the two States and would not in any way affect the rights of private parties. Eventually, the two State Governments agreed to necessary legislation being sponsored by the Central Government in Parliament. Before the Bill could be introduced, there was change of Government at the Centre in 1977 and the new Government decided to ascertain afresh views of the State Governments in this regard. Eventually, the relevant legislation was introduced and enacted in May, 1979.

In pursuance of the mutual agreement between the Governments of Haryana and Uttar Pradesh, the Survey of India had demarcated the proposed lxed boundaries on the ground even before coming into force of the Act except in respect of a small portion of boundary in the Kanigarhi sector where there was some resistance from the local people. Section 33 of the Act provides necessary legal cover for the demarcation so done. The left over demarcation work in Kanigarhi sector was subsequently completed by the Survey of India.

The Survey of India have also prepared maps in accordance with the provisions of law showing fixed boundaries and the position of boundary pillars as also the territories transferred from Haryana to Uttar Pradesh and *Vice-Versa* in pursuance of the Act as from the 'appointed day'.

Before the 'appointed day' for the purpose of the Act could be notified to give effect to the replacement of fluctuating boundaries by fixed boundaries, transfer of territories from one State to another, etc., some affected private parties filed writ petitions in the Supreme Court and obtained interim orders directing the maintenance of *status quo* in regard to

possession of land. The stay was vacated by the Supreme Court in August, 1983. Thereafter, the Central Government notified the 15th September, 1983 as the 'appointed day' for the purposes of the Act. Thus, the Central Government have taken all necessary action to implement the provisions of Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 based upon Shri Dikshit's Award.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि 15 सितंबर, 1983 मान्यवर प्रश्न पूछूंगा या कुछ बोलूं भी।

श्री उपसभापति : आप प्रश्न पूछिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : तो 15 सितंबर 1983 की जो उन्होंने डेट फिक्स की है उसके बाद अब तक क्या हुआ है और जो सर्वे आफ इंडिया ने अपना डी-मार्केशन निश्चित किया है, उसके पिलर फिक्स करने में क्यों विलंब हो रहा है? एक वर्ष अब होने को आया है, क्यों कार्यवाही नहीं हुई? माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होनी चाहिए और होगी भी, कि दोनों प्रदेशों में जमीन कट कर इधर से उधर और उधर से इधर आती है। इससे आज भी दोनों राज्यों के किसान इधर-उधर कृषि करते हैं, खेती करते हैं, बोना कोई है और मान्यवर दूसरी पार्टी आकर, दूसरे प्रदेश के किसान आकर उसे काटते है। दोनों राज्यों की पुलिस मौके पर जाती है। कागजात में अभी तक कोई इन्दिराजी डीमार्केशन का नहीं हुआ। इसलिए रोजाना झगड़े बने रहते हैं, दोनों जिलों के कलक्टर और पुलिस कप्तान की मीटिंग होती रहती है और किसान भी उजड़ते रहते हैं। इस कारण बहुत बड़ा एरिया में फसल नहीं बोई जाती और अगर बोई गई तो बोता कोई है, बोने पर खर्च कोई करता है और उसे काटता कोई और है। अत: मंत्री जी यह बताएं कि एक वर्ष होने को आया, जो 15 सितंबर, 1983 की डेट निश्चित की थी, उसमें विलंब क्यों हो रहा है और यह डी-मार्केशन कितनी जल्दी कराया जाएगा मौके पर और कागजात में उसका इंदराज कब तक हो सकेगा, जिससे कि फिर किसी प्रकार के फसादात और झगड़े दोनों प्रदेशों में न हों, दोनों प्रदेशों के किसानों में न हों और दोनों प्रदेशों के लोग पुलिस का सहारा न लें?

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, यह दीक्षित अवार्ड जो बना। इसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही नहीं, बल्की दिल्ली प्रांत की सीमा भी आती है। यह तीनो राज्यों की सीमाओं का विवाद, जैसा कि भाई वर्मा जी ने कहा, बहुत दिनों से चला हुआ है और यह विवाद इस सीमा तक पहुंच चुका है कि रोज-मर्रा किसानों के झगड़े, फौजदारी मुकदमें, मर्डर सीमा विवाद के कारण अनेकों बार होते रहते है। यह बात भी सही है कि फसल बोता कोई है और काटता कोई है। यह यमुना का बहाव कुछ प्राकृतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ कटान लिए हुए है। जब मैं सन् 1952 में यू० पी० असेम्बली में मेंबर बन कर गया, तो मैंने यह सवाल यू०पी० असेम्बली में भी उठाया। उन दिनों जहुरूल हसन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने एक नक्शा उपाध्यक्ष महोदय, हमे दिखाया, जिसमें हरियाणा और दिल्ली के अनेक गांव।

श्री उपसभापति : नक्शे को बात छोड़िए। पिछली बातें खतम हो गयीं

श्री रामचन्द्र विकल : नहीं-नहीं। मैं यह कह रहा हुं कि यह बिवाद बहुत पुराना है और इसका इतना गहरा प्रभाव है।

श्री उपसभापति : आप अवार्ड से चलिए . . .

श्री रामचन्द्र विकल : जी हां, यह दीक्षित अवार्ड से ही संबंधित है । अनकों गांव जो यू०पी० में होते थे, हरियाणा और दिल्ली में आ गए । उनकी जमीन भी और आबादी भी इसमें आ गए । आज भी दीक्षित अवार्ड बनने के बाद भी चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फर नगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद, जो नया जिला बना, हो, चाहे बुलंदशहर हो, इन जिलों के सीमावर्त्ती सभी किसान आए दिन इस कठिनाई से ग्रस्त हैं, मुकदमे बाजी, झगड़े सभी आपस में उनके हैं ।

इसलिए मेरा निवेदन है गृहमंत्री जी से कि जो उन्होंने डेट फिक्स की या संविधान में संशोधन करने का विचार है, उसमें शीघ्रता करें और भविष्य में सीमा ऐसी मुकर्रर करें कि नदी चा जहां चली जाए, नदी की धारा के ऊपर निर्भर न करें, क्योंकि नदी परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, कभी इधर ो बढ़ जाती है, कभी उधर को बढ़ जाती है । सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हरियाणा की सीमा पर, हरियाणा गवर्नमेंट की मैं तारीफ ही करूंगा कि उन्होंने अनेक बांध लगा रखे हैं और हमारी गवर्नमेंट, दुर्भाग्य से यू० पी० गवर्नमेंट बांध लगाने में असमर्थ रही है, पता नहीं, क्यों ?

बांध की वजह से कटान यू० पी० की
12Noon तरफ हो जाता है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट—
चाहे सिंचाई विभाग हो या गृह मंत्रालय हो—ऐसी सीमा मुकर्रर कर दे कि नदी चाहे जहां चली जाय जो सीमा मुकर्रर है रकबे की, क्षेत्र की वह बदली न जाय नदी की बजह से । बरना नदी की धार पर छोड़ दिया गया तो कभी स्थायी हल नहीं हो सकता । स्थायी सीमा ही एकमात्र हल है । मेरा यह कहना है कि इस में शीघ्रता की जाय ।

श्री उपसभापति : फिक्स्ड पिलर गाड़ दिये गये हैं, धार नहीं रही ।

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना की सीमा है । इसी से सम्बन्धित बिहार के भोजपुर और बलिया की सीमा है । गृह मंत्री जी . . .

श्री उपसभापति : वह सवाल नहीं उठेगा, और कुछ नहीं ।

श्री अश्विनी कुमार : पिछले वर्ष 16 अगस्त को गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे इस काम को करायेंगे ।

श्री उपसभापति : वह अलग से पूछिए ।

श्री अश्विनी कुमार : आज आखिरी दिन है, दो मिनट में बोल लूंगा । मैं चार साल से इस के लिए लड़ता रहा हूं । मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि 16 अगस्त को उन्होंने आश्वासन दिया था पिछले साल । वह कर क्या रहे हैं । हर साल वहां पर खेत में, खलिहान में मारपीट होती रहती है । गृह मंत्री जी बैठी है, वह बिहार की हैं, मैं उन से निवेदन करूंगा, आप उत्तर प्रदेश के हैं, इस मामले को भी सुलझाने की कृपा करें ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं समझ नहीं पाती कि कहां से शुरू करूं । जिन माननीय सदस्य ने अन्तिम सवाल किया उस का तो कालिंग अटेंशन में कहीं जिक्र नहीं है, यह तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सम्बन्धित है । विकल जी ने दिल्ली का जिक्र कर दिया । दिल्ली या किसी स्टेट का जिक्र नही आना चाहिए । कालिंग अटेंशन में सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा का सवाल है । मैं समझती हूं कि मैंने काफी जवाब दे दिया है, लेकिन उस के बाद भी पिलर्स वगैर

के सम्बन्ध में बातें पूछी जा रही हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है इस सम्बन्ध में मैं उस की जानकारी दिये देती हूं । मैंने अभी बताया –

The Survey of India had completed demarcation of the fixed boundary in the entire stretch of inter-State boundary, except in the small stretch of Kanigarhi sector where this work could not be completed because of opposition from local people. The demarcation etc. undertaken and completed before the commencement of the Act is covered by section 33 of the Act. The Survey of India has also prepared maps of the transferred territories in pursuance of section 3(4) of the Act and sent copies thereof duly authenticated by both the State Governments to the Central Government and also the State Governments for publicity in the transferred areas. The maps have been prepared as provided by law to show the fixed boundary between the two States, the position of some 1600 boundary pillars and also double row of reference pillars on either side of the fixed boundary and the territories to be transferred from Haryana to Uttar Pradesh and *vice versa* as from the 'appointed day'. The reference pillars have been fixed for the reason that the fixed boundary to a large extent was in the river Yamuna and fixing of boundary pillars was not feasible. It s stipulated that if and when the river changes its course, as it was mentioned by the hon. Members, and the position of these boundary pillars appear on firm ground, the boundary pillars may be constructed by the concerned State Governments. The responsibility for construction and maintenance of each boundary pillar has also been specified in the rules made in pursuance of the Act. It is for the hon. Members to see to the rules.

Sir, all the administrative action which was required to be taken before the Central Government notified the 'appointed day' having been completed soon after the enactment of the law by Parliament, the Government of India was keen to issue the Notification regarding the 'appointed day' for the purposes of the Act. In certain writ petitions filed in the Supreme Court by residents of villages in both the States residing on either side of the river, the petitioners had obtained interim orders from the Supreme Court directing maintenance of *status quo* in regard to possession of land. These stay orders were vacated only in August, 1983 with directions by the Court to the Central Government to expedite issue of the Notification regarding the 'appointed day'. According, the Central Government notified the 15th September, 1983 as the 'appointed day' for purposes of the Act.

Sir, as regards the disputes arising till now it is for the two State Governments to sit and to decide the issues and the problems bilaterally. If it is not decided bilaterally by these two concerned State Governments, then, they should refer the case to the competent court where they can get justice. That is all.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, माननीया गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो 1500 पिलर आपने बताए हैं वह किस जिले में, किस साइड से लगवाए गए हैं, कितने जिलों में लगाए गए हैं, कुछ तो बतायें । हमारे हिसाब से अभी तक एक भी नहीं लगा है । किसी एक जिले का हमें बता दीजिए जहां लगे हैं । क्या कागज में इनको इंदराज किया गया है इन दोनों बातों का जवाब दें ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कागजात में सब इंदराज हो गए हैं । एक सवाल जो इससे उठता है वह यह है कि जो इधर कि जमीन है वह काट लेते हैं उधर की वह काट लेते हैं । तो ये पिलर बने हैं । हरियाणा की जमीन उत्तर प्रदेश में पहुंच जाए और उत्तर प्रदेश की कुछ जमीन हरियाणा में पहुंच जाए तो जमीन का मालिक वही होगा जो कि पहले था । फर्क इतना ही होगा कि ओनरशिप उसकी रहेगी, सिटिजनशिप उसकी स्टेट की रहेगी लेकिन रेवेन्यू उसी प्रदेश का होगा जिसके अधीन वह जमीन पड़ेगी ।

श्री रामचन्द्र विकल : अभी गृह मंत्री महोदया ने बताया कि वे झगड़े हमारे पास आयेंगे, तो झगड़े तो रोज हो रहे हैं । हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं निपटते। सैंट्रल गवर्नमेंट स्थायी समाधान करें, उनको मदद सैंट्रल गवर्नमैंट करे।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सैंट्रल गवर्नमैंट ने तब तक मध्यस्थता, आर्बिट्रेट किया जब तक दीक्षित अवार्ड नहीं आ गया था । उसके बाद अब सैंट्रल गवर्नमट का कोई सवाल नहीं है । इसमें अब तो दोनों स्टेट गवर्नमैंटस को बाइलैटरली समझौता करके प्राबलम्स का निदान निकालना चाहिए । नहीं निकले तो कोर्ट में जायें ।... **(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN We have a large number of special mentions to be taken up. So we will take up these immediately after lunch. Now, we shall further consideration of the Land Acquisition (Amendment) Bill, 1984. Mr. Ram Chandra Vikal.

THE LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1984 (contd.)

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह भूमि अधिग्रहण कानून जो अभी पेश हुआ है यह 1894 के बाद अब संशोधित हो रहा है । बहुत देर में इसमें यह संशोधन आया है । देर आयद दुरुस्त आयद की कहानी अभी तक सही थी । मैं आज यह कहने को तैयार हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद की कहानी अभी भी सही नहीं हो सकी है । एक विधेयक जो इससे पहले आया था, पेश हुआ था उसमें किसान को जो मुआवजा है वह अधिग्रहण के समय से ही मार्किट रेट पर देने का विचार था। उस विधेयक को इस वक्त वापस ले लिया गया, शायद 5–6 अगस्त को और उसका दूसरा प्रारूप बना कर पेश किया है जिसमें किसान को मार्किट रेट पर मुआवजा देने पर विचार नहीं है । सन 1960 या 59 में जो जमीन एक्वायर हुई बल्कि इससे भी पहले चाहे गाजियाबाद की जमीन हो, दिल्ली हो, बम्बई की हो, कलकत्ता की हो, मेरठ की हो, चाहे कहीं की भी हो, वह किसान मुआवजे का हकदार है उसी दिन से । इसमें थोड़ा सा मुआवजा बढ़ाने के लिये जरूर कहा गया है । 6 फीसदी का मुआवजा पहले ही मुकर्रर था । अब वह 6 की बजाय 9 फीसदी करने का विचार है।

श्री उपसभापति : सूद की बात है ।

श्री राम चन्द्र विकल : बैंक का सूद 18 फीसदी और गवर्नमेंट जो सूद देगी वह 9 फीसदी । वह भी कब से बकाया पड़ा है किसान का मुआवजा तो मैं कहना चाहता हूं कि यह किसानों के साथ न्याय नहीं है । जब किसान में अनेक खराबियां हैं और जो जमीन के एक्वायर के आदेश हैं तो इस चीज के बारे में किसी किसान को कुछ पता नहीं होता । कोई नोटिस नहीं जाता, सैक्शन-4 का नोटिस नहीं जाता और कब्जा गवर्नमेंट का हो जाता है । किसान बहुत परेशान हैं । कोई बड़ा मालदार किसान होगा जो अपना मुकदमा लेकर जायेगा । मुझे गाजियाबाद का एक केस मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा । वहां से वह जीत भी जाता है मुकदमे को फिर दूसरे तरीके से जमीन एक्वायर की जाती है । आखिर में किसान दिल तोड़ कर बैठ जाता है । अपनी मजबूरी को वह नहीं कह पाता। मैं यह चाहता हूं कि जमीन एक्वायर होने से पहले, क्योंकि यह खाली किसानों का सवाल नहीं है राष्ट्रीय सवाल है, उनसे पूछ लिया जाए । हमारे देश में जमीनों का सदुपयोग नहीं हो रहा है । उपसभापति महोदय, मुझे जापान जाने का मौका मिला है, आप भी शायद गये हों जापान एक छोटा सा देश है लेकिन भूमि के मामले में उसने समुद्र को पाट कर